UG Sem-IV

अच्छी कार्य की दशाओं की ओर ही केंद्रित नहीं रखना चाहिए बल्कि अपने सदस्यों का मनोबल ऊंचा करने तथा अधिक उत्पादन की ओर प्रेरित करने का प्रयास करना चाहिए।

(iv) **हड़ताल का उपयोग :** श्रम संघों को हड़ताल का उपयोग उसी समय करना चाहिए, जब सभी प्रयास निष्फल हो गये हों।

(3) श्रम संघ एवं प्रबंधक दोनों के लिए सिद्धांत (Principle for Both Trade Union and Management)

(i) **विवेकपूर्ण निर्णय** श्रम संघ और प्रबंधक दोनों को ही यह समझना चाहिए कि अधिक विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए सामूहिक सौदेबाजी एक अच्छी विधि है। अत: समस्याओं के समाधान के लिए ईमानदारी से विचार-विमर्श करना चाहिए।

(ii) **शैक्षणिक आधार :** सामूहिक सौदेबाजी का आधार शैक्षणिक होना चाहिए। श्रम संघ के नेताओं को यह अवसर मिलना चाहिए कि वे प्रबंधकों के समक्ष अपनी मांगें, आवश्यकताएं, श्रमिकों की मनोवृत्ति आदि प्रस्तुत कर सकें और प्रबंधक पुन: उन्हें परिस्थितियां समझाने का प्रयास करें।

(iii) **पारस्परिक सद्भावना :** दोनों पक्षों में पारस्परिक सद्भाव तथा सौदेबाजी करने की क्षमता होनी चाहिए।

(iv) **अन्य बातें :** (*अ*) दोनों पक्ष यह अनुभव करें कि मूल्य स्थिरीकरण आवश्यक है तथा बाजार मूल्य एवं मजदूरी में पर्याप्त तालमेल होना चाहिए, (*ब*) दोनों पक्ष राजकीय नियमन का पालन करने के लिए तैयार होने चाहिए, (*स*) समझौता हेतु ईमानदार, योग्य तथा उत्तरदायित्वपूर्ण नेतृत्व आवश्यक है तथा (*द*) वे अनुबंध को क्रियान्वित करने में सक्षम हों। Stop

सामूहिक सौदेबाजी के स्वरूप (Forms of Collective Bargaining)

सामूहिक सौदेबाजी के प्राय: निम्नलिखित तीन स्वरूप होते हैं :

1. **एक संयंत्र सौदेबाजी** (Single plant bargaining) : जब सौदेबाजी एक संघ और एक सेवायोजक के मध्य होती है तो इसे संयंत्र सौदेबाजी कहते हैं। इसका प्रचलन अमेरिका और भारत में है।

2. **बहु-संयंत्र सौदेबाजी** (Multi-plant bargaining) : जब सौदेबाजी एक इकाई (जिसके कई संयंत्र हो सकते हैं) के मध्य और उन सभी संयंत्रों में नियोजित श्रमिकों एवं श्रमिक संघों के मध्य होती है तो इसे बहु-संयंत्र सौदेबाजी कहते हैं।

3. **बहु-सेवायोजक सौदेबाजी** (Multi-employer bargaining) : जब एक ही उद्योग के समस्त संघों की उनकी विभिन्न फेडरेशन के माध्यम से सेवायोजकों एवं उनके फेडरेशन से सौदेबाजी होती है तो इसे बहु-सेवायोजक सौदेबाजी कहते हैं।

सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता, महत्त्व एवं लाभ (Need, Importance and Advantages of Collective Bargaining)

जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि सामूहिक सौदेबाजी श्रमिक संघों की वह प्रणाली है, जिसके द्वारा वे श्रम का मूल्य और कार्य की शर्तें उद्योगपतियों के साथ निर्धारित करते हैं। निर्माता मजदूरों से मनमानी शर्तें न मनवा सकें व उनका शोषण न कर सकें व श्रमिकों को भी प्रत्येक बात के लिए हड़ताल का आश्रय न लेना पड़े, इसके लिए सामूहिक सौदेबाजी प्रणाली का जन्म हुआ। तब से यह निरंतर विकसित हो रही है। प्रो. ए. बी. रमनराव के शब्दों में, "सामूहिक सौदेबाजी सेवायोजकों और श्रमिकों दोनों से ही सुलह और समन्वय के लिए इच्छुक होने और जनहितों को मान्यता देने के लिए तत्पर रहने की मांग करती है। अब वे दिन हमेशा के लिए चले गये जब सेवायोजकों द्वारा एकपक्षीय रूप में रोजगार की शर्तें निरूपित होती थीं और कर्मचारी उन्हें अपरिहार्य रूप में स्वीकार कर लेते थे। राज्य ने सामूहिक सौदेबाजी के प्रमापीकरण और नियमन द्वारा सक्रिय रुचि लेना आरंभ कर दिया है ताकि श्रमिकों और सेवायोजकों दोनों के हितों की आवश्यकताओं की सामान्य रूप से देखभाल की जा सके। संक्षेप में, सामूहिक सौदेबाजी के महत्त्व का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं :

Scanned with CamScanner